"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 147] रायपुर, सोमवार, दिनांक 17 मई 2010—वैशाख 27, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 मई 2010

क्र. 5186/115/21-अ/प्रा./छ. ग./10.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 06-05-2010 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. तिवारी, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 9 सन् 2010)

छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2010

छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 24 सन् 2004) में और संशोधन करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम "छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2010" कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 11 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 24 सन् 2004) (जो इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 11 की उप-धारा (8) में शब्द "जो पांच वर्ष से अधिक अवधि की नहीं होगी" के स्थान पर शब्द "पांच वर्ष की अवधि के लिये या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 12 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (2) में शब्द "चार वर्ष की अवधि तक" के स्थान पर शब्द "पांच वर्ष की अवधि के लिये" प्रतिस्थापित किया जाए.

निरसन.

4. छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (क्रमांक 2 सन् 2009) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 14 मई 2010

क्र. 5186/115/21-अ/प्रा./छ. ग./10.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2010 (क्रमांक 9 सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. तिवारी, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 9 of 2010)

CHHATTISGARH KUSHABHAU THAKRE PATRAKARITA AVAM JANSANCHAR UNIVERSITY (SANSHODHAN) ACT, 2010

An Act further to amend Chhattisgarh Kushabhau Thakre Patrakarita Avam Jansanchar University Act, 2004 (No. 24 of 2004).

Be it enacted by Chhattisgarh Legislature in the Sixty-first year of the Republic of India, as follows :-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Kushabhau Thakre Patrakarita Avam Jansanchar University (Sanshodhan) Act, 2010.

   (2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

   (3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 11.

2. In the Sub-section (8) of Section 11 of the Chhattisgarh Kushabhau Thakre Patrakarita Avam Jansanchar University Act, 2004 (No. 24 of 2004) (hereinafter referred to as the Principal Act), the words "for a period not exceeding five years" shall be substituted by the words "who shall hold office for a term of five years or till he attains the age of 70 years whichever is earlier".

Amendment of Section 12.

3. In the Sub-section (2) of Section 12 of the Principal Act, the words "for a term of four years" shall be substituted by the words "for a term of five years".

Repeal.

4. The Chhattisgarh Kushabhau Thakre Patrakarita Avam Jansanchar University (Amendment) Ordinance, 2009 (No. 02 of 2009) is hereby repealed.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.